यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

मु० नं० 14/17 तारीख रजू 17.11.17

उनवान — प्यारेलाल बनाम रा.मा. जि० मातासूला जरिये न्यायाचार्य

दावा बाबत इस्तकरारहक, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

वादी की ओर से श्री हंसराम गुर्जर एडवोकेट ने दावा बाबत इस्तकरारहक, दुरुस्ती इन्द्राज, एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 136, 188 के तहत पेश किया। जमाबन्दी व शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन से तलब कर दिनांक 5.12.17 को पेश हो। 6335-37 20-11-17

जगदीश आर्य
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम

5.12.17 वादी मय वकील उप०। तहसीलदार टोडाभीम को तामिल हो चुकी है। प्रतिवादी नं. 1 की ओर से श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट ने उपस्थिति दर्ज करायी। वकालतनामा पेश करने के लिए समय चाहा दिया गया। वास्ते वकालतनामा दिनांक 3.1.18 को पेश हो।

3.1.18 वकील उप०। गतानुसार दि० 12.1.18 को पेश हो।

12.1.18 पत्रावली पेश हुई। बार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। गतानुसार दिनांक 31/1/18 को पेश हो। 12.1.18

31.1.18

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2021.02.01 11:59:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडा

दिनांक	फर्द अहकाम
26.7.19	वकुलाय अस्थित/पीठासन अधिकारी करौली पधारे है। अतः पत्रावली मताबुसार दिनांक 14.8.19 को पेश हो। (हस्ताक्षर) रीडर
14.8.19	वकुलाय उप०/ द० 07 R.11 CPC का जवाब पेश करने हेतु 5.9.19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
5.9.19	वकुलाय उप०/ द० 07 R.11 CPC का जवाब पेश किया। जवाब की प्रति वकील प्रतिवादी ने प्राप्त की। वास्ते बहस द० 07 R.11 दिनांक 19.9.19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
19.9.19	वकुलाय उप०/ प्रार्थना पत्र 07 R.11 जाब्ता दीवानी पर बहस सुनी गई। वादी वकील द्वारा पेश दस्तावेज शामिल किया गया। वास्ते आदेश द० 07 R.11 दिनांक 1.10.19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
1.10.19	वकुलाय उपस्थित। P.O. साहब करौली पधारे हैं मताबुसार दिनांक 3.10.19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
3.10.19	वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली प्रार्थनापत्र आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी के आदेश में नियत है। प्रतिवादी/प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र 07 R.11 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत किया है कि भूमि खसरा नम्बर 1265 रकबा 0.14 हे० ग्राम ... राजकीय प्राथमिक विद्या० जो कमोन्नत होकर ... उच्च प्राथमिक विद्या० माताखलता की मालिकाना व कब्जे खातेदारी की

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2021.02.01 11:59:39 IST
Reason: SelfAttested

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

ायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिला कलक्टर करौली के आदेश क्रमांक 111-116 दिनांक 2.1.2002 के द्वारा ग्राम मातासूला की ख.नं. 1265/0.14है० भूमि विद्यालय को आंवटित करने पत्रांक० संख्या 126 दिनांक 6.5.2002 से विद्यालय के नाम दर्ज हुई है। आंवटित भूमि पूर्व में कभी भी वादी की आबादी की भूमि नहीं रही है विद्यालय के खेल मैदान के रूप में उपयोग की जा रही है। स भूमि पर अवैध रूप से अगस्त 2017 में वादी द्वारा पुख्ता मकान बनाना चालू किया था। जिसपर संस्था प्रधान द्वारा वादी व इसके परिवारजन के खिलाफ पुलिस थाना टोडाभीम में दिनांक 19.8.2017 को एक एफ.आई. आर. नम्बर 302/2017 दर्ज कराई गई है। विद्यालय की भूमि को हाल नक्शा ट्रेस में स्पष्ट दर्शाया है वादी का स भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है जाति रिहायश हो रही है। वादी ने विद्यालय के हक में किये गये आंवटन की अपील माननीय राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर के न्यायालय में पेश की है जो विचाराधीन है वादी ने इसी विवादित भूमि का वाद पत्र बाबत खातेदारी इन्द्राज दुरुस्ती स्थाई निषेधाज्ञा का न्यायालय हाजा में पेश किया है। विधि विरुद्ध, क्षेत्राधिकार से बाहर है। वादी ने इसी भूमि के संबंध में न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट टोडाभीम के यहां ... बनाम सरकार आदि वादपत्र सन् 2017 में पेश किया था इन्द्राज दुरुस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का वह वाद दिनांक ..11.2017 को खारिज हो चुका है उस निर्णय की अपील भी पेश नहीं की है। गैर कानूनी रूप से विद्यालय की भूमि हड़पने के लिए यह वाद पेश किया है। वादी का

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2021.02.01 11:59:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner